


## कार्यालय आदेश

दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को Ease of Doing Business के संबंध में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि Medium Risk उद्योगों के लिये Third Party Audit का प्राविधान अनिवार्य किया जाए।

उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या-277/मु0-प्रवर्तन/2019, दिनांक 23 जनवरी, 2019 में उल्लिखित Low Risk Industries को संशोधित करते हुए Medium Risk Industries को प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार Medium Risk Industries हेतु निरीक्षण Third Party Audit के माध्यम से ही सुनिश्चित किये जाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।



(अनिल पेटवाल)

श्रम आयुक्त (कार्यवाहक) उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।

कार्यालय: श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 1070 / मु0-प्रवर्तन/2019

दिनांक : 27/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाये जाने हेतु।
- 2- सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 3- संयुक्त श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।
- 4- उप निदेशक कारखाना/ब्यायलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 5- समस्त उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 6- सहायक निदेशक, कारखाना/ब्यायलर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।



(अनिल पेटवाल)

श्रम आयुक्त (कार्यवाहक) उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।